बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

सितम्बर–अक्टूबर– नवम्बर

2020

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची पेज नं.

(A) कोविड–19 कालः बदलनी पड़ी कार्य प्रणाली 58 ऑनलाइन बैठकों में शामिल हुए 16455 प्रतिभागी 1–2

(B) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 3

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 4–6

(D) बहु–आपदा प्रवण विषय पर वर्चुअल सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 7–8

(E) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम 9

(F) शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का संवेदीकरण कार्यक्रम 10–16

(G) शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका की (Guidelines) तैयारी बैठक 17–18

(H) डूबने और नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में ऑनलाइन संवेदीकरण 19–27

(I) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों का ऑनलाइन संवेदीकरण 28–29

(J) संसाधन की उपलब्धता ही नहीं, जानकारी भी जरूरी 30–31

(K) **Mass Messaging** 32–35

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन (सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 2020)

(A) कोविड–19 कालः बदलनी पड़ी कार्य प्रणाली
58 ऑनलाइन बैठकों में शामिल हुए 16455 प्रतिभागी

वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड–19) की वजह से आमलोगों की दिनचर्या ही नहीं बल्कि सरकारी कामकाज का स्वरूप भी बदल गया। चुंकी महामारी और संक्रमण से बचने के लिए समाजिक दूरी बनाना एक दिशा निर्देश बन गया। इसलिए भौतिक स्वरूप में होने वाली बैठके चाहे वह सरकारी आयोजना हो अथवा निजी क्षेत्रों के आयोजन हो। सभी बैठकें, प्रशिक्षण, विचार–विमर्श आदि ऑनलाइन शुरू हो गया। वर्तमान परिस्थिति और कोविड–19 की खतरा से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में होने वाली नियमित बैठकें प्रशिक्षण आदि रोक कर यह आयोजन ऑनलाइन शुरू करना पड़ा। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण संवेदीकरण, विमर्श (अथवा प्राधिकरण के लिए अब भी जारी है।) अब तक प्राधिकरण के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 58 बैठकों का आयोजन ऑनलाइन किया जा चुका है इसमें 16455 हितभागियों की भागीदारी हुई। ऐसी बैठकों के पूर्व यानी मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह से जून 2020 तक प्राधिकरण

के प्रोफेशनल्स, कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा लगातार कोरोना की खतरा और इससे बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।

प्राधिकरण द्वारा जारी जन–जागरूकता अभियान को देखते हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, संगठनों आदि के द्वारा इस अभियान में शामिल हो गए। इन संगठनों द्वारा मिले सहयोग की वजह से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के आने वाले मजदूरों, राहगिरों व अन्य को राहत पहुंचाया गया। यह राहत कार्य जून 2020 के अंत तक चला। वहीं जुलाई–अगस्त में हितभागियों की मदद से कई परिवार को मदद की गयी। मदद पाने वालों में वैसे परिवार शामिल हैं जिसमें रोजी–रोटी के लिए मजदूरी करने बाहर जाने वालों के बिहार लौटने के क्रम में दुर्घटनावश मौत हो गयी थी। इन परिवारों को सिलाई मशीन, खाद्यान्न, वस्त्र, वर्तन और जीविक शुरू करने के लिए नकद राशि दिया गया। यह अभियान जुलाई–अगस्त माह के अंत तक जारी रहा।

Mason Training on 24-25 September 2020 at Patna

(B) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

03 नवम्बर 2020 तक 31 जिलों में कुल 13308 राजमिस्त्रियों एवं 32 जिलों में 2437 असैनिक अभियंताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(1) दिनांक 24 से 25 एवं 28 से 29 सितम्बर 2020 को, राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के लिए दो–दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स सम्पादित किया गया। जिसमें कुल 16+27=43 अभियंताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रतिभागियों को एन. आई. टी. पटना परिसर में भूकम्प सुरक्षा क्लीनिक का शैक्षनिक भ्रमण भी कराया गया ।

(2) दिनांक 13 से 14 एवं 19 से 20 अक्टूबर 2020 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के लिए दो–दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स सम्पादित किया गया। जिसमें कुल 16+14=30 राजमिस्त्री/अभियंताओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को एन. आई. टी. पटना परिसर में भूकम्प सुरक्षा क्लीनिक का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया ।

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

1. कोविड–19 की वजह से देशभर के विद्यालय बंद है, ताकि बच्चे समूह में न रह कर अपने घर में रहे और बच्चों तक इस बीमारी का संक्रमण नहीं पहुंचे। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चे घर पर हैं और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है, इसी को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन (बिहार) पर "मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय" नामक कार्यक्रम के द्वारा बच्चों की कक्षाएं संचालित है। इसी "मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार" का प्रसारण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और यूनिसेफ की मदद से किया जा रहा है।

शनिवार के दिन सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में विभिन्न आपदाओं के बारे में (सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार) बच्चों को बताया जा रहा है। "मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय" के अंतर्गत प्रसारित होने वाले इस सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में न केवल विभिन्न आपदाओं से बचाव के बारे में सैद्धांतिक जानकारी दी जा रही है, बल्कि राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और अन्य के सहयोग से विभिन्न आपदाओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी भी मॉकड्रिल तथा प्रदर्शन (demonstration) के माध्यम से दी जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे वह सभी के काम आने वाली जानकारी होगी। अतः बच्चों से इस कार्यक्रम के माध्यम से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे उन जानकारियों को अपने परिवार में चर्चा करेंगे। इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सत्र पूरा होने पर बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं उन्हें गृहकार्य भी दिया जाता है। इस प्रकार धीरे–धीरे और सीखते–सीखते हम सब मिलकर अपने राज्य बिहार को आपदाओं से सुरक्षित राज्य बनाने में सफल हो सकेंगे।

"मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय" कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार के दिन "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार" का कार्यक्रम दिनांक 09 मई 2020 से लगातार प्रसारित हो रहा है। प्रसारण के पश्चात यू–ट्यूब चैनल पर इसे अपलोड किया जाता है। अब तक प्रसारित सभी एपिसोड का यू–ट्यूब लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक के माध्यम से आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त जा सकती है।

2. दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के अतिरिक्त बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यूनिसेफ और बिहार के शिक्षकों के एक ग्रुप "टीचर्स ऑफ बिहार" के द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को "सुरक्षित शनिवार" मनाया जा रहा है। इस सुरक्षित शनिवार के तहत प्रत्येक शनिवार को दिन भर फेसबुक लाइव के माध्यम से शिक्षकों एवं समुदाय का विभिन्न आपदाओं के बारे में संवेदीकरण किया जाता है।

3. **मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के फोकल शिक्षकों का ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम**

वर्तमान समय में Covid–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24 नवम्बर से राज्य के सभी सरकारी/गैर–सरकारी/मदरसा बोर्ड/संस्कृत शिक्षा बोर्ड तथा अन्य विभागों के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों के एक–एक फोकल शिक्षकों का ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू किया गया है। फोकल शिक्षकों के तीन दिनों के पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑनलाइन 13 सत्रों में विभाजित कर प्रत्येक फोकल शिक्षकों को 13 सत्रों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। दिनांक 24 नवम्बर से बांका जिले के फोकल शिक्षकों का 13 सत्रों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। भागलपुर और शेखपुरा जिले के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण 04 दिसम्बर से प्रारम्भ किया गया।
फोकल शिक्षकों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सत्रानुसार शामिल हुए प्रतिभागियों की संख्या इस प्रकार है :–

जिला	सत्र सं.	दिनांक	समय	प्रतिभागियों की संख्या
बांका विद्यालयों की कुल संख्या –_2300	1	24.11.2020	11.30 – 12.30	1265
	2	24.11.2020	02.30 – 03.30	1232
	3	25.11.2020	11.30 – 12.30	1407
	4	25.11.2020	02.30 – 03.30	1243
	5	26.11.2020	11.30 – 12.30	1338
	6	26.11.2020	02.30 – 03.30	1265
	7	27.11.2020	11.30 – 12.30	1266
	8	27.11.2020	02.30 – 03.30	1214

4. जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कार्मिकों, प्रखण्ड साधन सेवियों, संकुल समन्वयकों एवं शिक्षकों का मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) तथा मानसून संबंधित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस डेढ़ घंटे के कार्यक्रम में जिले के जोखिमों की प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा से सम्बंधित पूर्व तैयारियां एवं प्रत्युत्तर,

छोटे बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छ पेयजल प्रबंधन, सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, डूबने की घटना, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, वज्रपात, स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं (कोविड–19 सहित) आदि के सम्बन्ध में जागरूकता/जानकारी/बचाव के तरीकों आदि के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों द्वारा वार्ता व प्रस्तुतीकरण किया गया।

ज्ञातव्य हो कि यह कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से गठित 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण ई–अकादमी' (DRR e-Academy) द्वारा से कार्यान्वित किया गया।

क्रमांक	जिला	दिनांक	समय अपरान्ह
1	पुर्णिया, कटिहार,किशनगंज, अररिया	08-09-2020	03:00-04:30
2	मधुबनी, सुपौल, वैशाली, दरभंगा	10-09-2020	03:00-04:30
3	सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर	11-09-2020	03:00-04:30
4	पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, शेखपुरा	15-09-2020	03:00-04:30
5	सिवान, खगड़िया, सारण, गोपालगंज	17-09-2020	03:00-04:30
6	नालंदा, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा	21-09-2020	03:00-04:30
7	बक्सर, लखीसराय, पटना, भोजपुर	22-09-2020	03:00-04:30

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(D) बहु–आपदा प्रवण विषय पर वर्चुअल सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

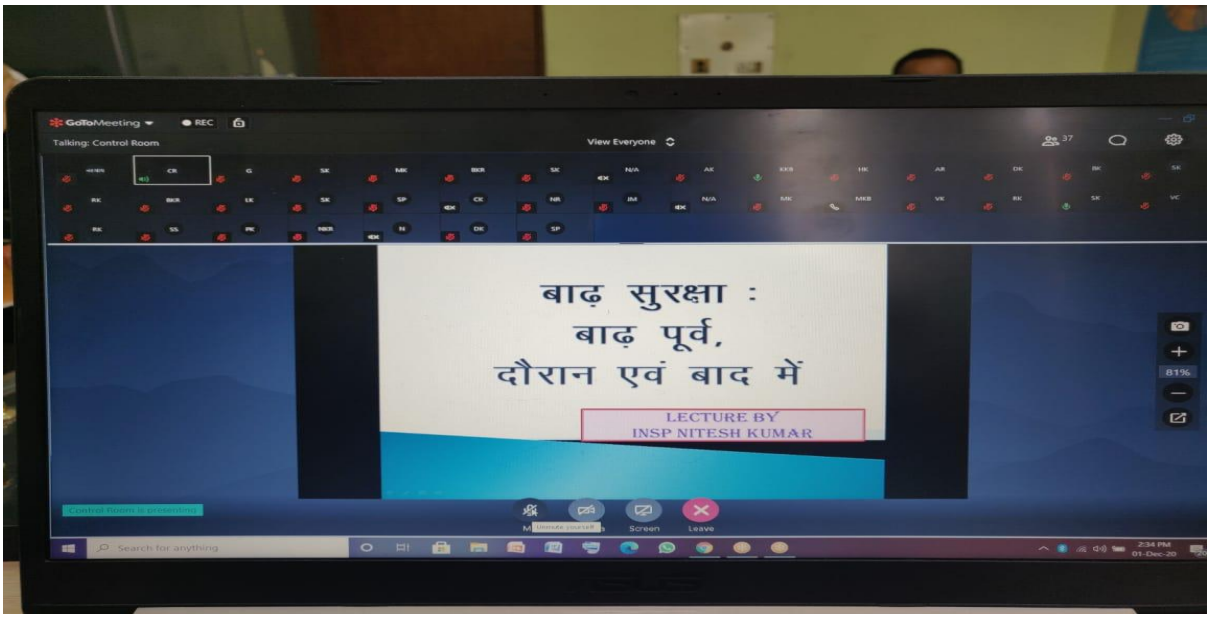

हमारा बिहार राज्य बहु आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गांव, पंचायतों, प्रखंड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। हम बाढ़, भूकम्प, सुखाड़, अगलगी, बिजली गिरना, आंधी तूफान, शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रायः प्रभावित होते रहते हैं। इसके कारण जान–माल की भारी क्षति होती है। अगलगी को छोड़ शेष आपदाओं पर मावन का वश नहीं चलता, परंतु हम कुछ ऐसी आपदाओं से भी प्रभावित हो जाते हैं जो हमारी असावधानी के कारण होती है। इनके घटित होने पर प्रायः मृत्यु तक हो जाती है जैसे, अगलगी, नाव दुर्घटना, डूबना, वाहन दुर्घटना इत्यादि। हम ऐसी आपदाओं को मानव जनित या मानव निर्मित आपदा भी कहते हैं। इन प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के अतिरिक्त हम स्वास्थ्य संबंधी एवं सामाजिक समस्याओं का भी सामना करते हैं जिससे हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से प्रभावित होते हैं।

इन आपदाओं से समुदाय को ही सबसे पहले निबटना पड़ता है। सरकारी अधिकारी तो सूचना मिलने पर ही मदद के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि समुदाय के रूप में हम अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले में आने वाली आपदाओं की जानकारी हासिल करें। आपदाओं के जोखिम को कम करने और इसके प्रबंधन के लिए समुदाय की सहायता में स्वयं को तैयार करें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों के सहयोग से राज्य

के प्रत्येक पंचायत में 10–10 उत्साही नौजवानों/युवतियों की टोली तैयार कर रहा है ताकि वे अपने समुदाय के मददगार बन सकें।

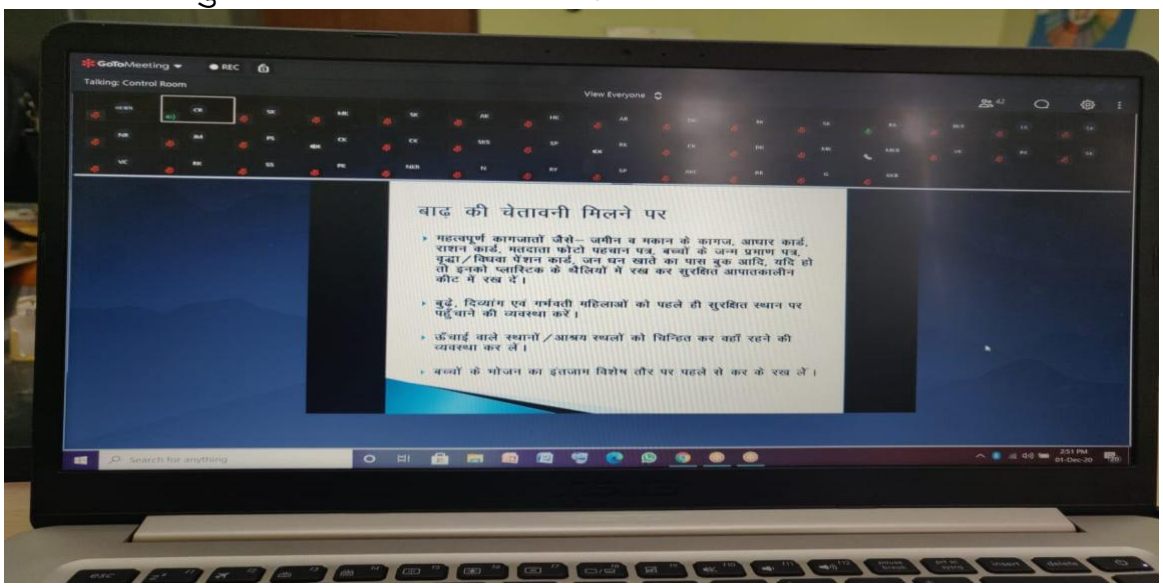

यह वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड–19 के मद्देनजर दिनांक 24.11.2020 से पूर्णियां जिले के प्रत्येक प्रखण्डों में शुरू किया जा चुका है। सामुदायिक प्रशिक्षण के पहले सत्र में कुल 250 नौजवानों/युवतियों की बाढ़ आपदा प्रबंधन (पशुओं एवं मानव) एवं भूकंप से बचाव के बारे में एन.डी.आर.एफ. एवं एस.डी.आर.एफ. के विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(E) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्राधिकरण द्वारा अग्नि सुरक्षा पर निर्मित चार मॉडलों व फिल्म के माध्यम से 14.10.2020 एवं 26.11.2020 को विभिन्न हितधारकों का क्षमतावर्द्धन किया गया। जिसके तहत सात जिलों में पदस्थापित जिला कन्सलटेंट (एन. डी.एम.ए. कार्यक्रम से संबंधित), प्राधिकरण के प्रोफेशनल्स एवं अन्य प्रशिक्षुओं को जागरूक, प्रशिक्षित तथा उन्मुखीकरण किया गया, जिसमें आग से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इसके अन्तर्गत किसी भवन में आग लगने के प्रमुख कारणों जैसे निम्न स्तर के विद्युतीय तार एवं उसपर क्षमता से अधिक उपकरणों का भार, ट्रांसफार्मर के आस–पास सफाई का अभाव, ज्वलनशील पदार्थों का असवधानी पूर्वक रख–रखाव व उपयोग में लापरवाही आदि की चर्चा की गयी।

इसके साथ–साथ आग लगने की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत स्वचालित यंत्रो की सहायता से संबंधित व्यक्तियों/स्थानों तक पहुंचाना, सूचना मिलते हीं त्वरित कार्यवाई करते हुए सबसे पहले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना साथ ही साथ आग पर जितनी जल्दी हो सके काबु पा लेना आदि है। मॉडल द्वारा यह भी प्रदर्शित किया गया कि कैसे किसी भवन के निर्माण में पर्याप्त वेंटिलेशन द्वारा धुँआ का निकासी सुनिश्चित किया जा सकता है एवं स्वचालित अग्निशमन (फायर बॉल), स्वचालित धुँआ निकासी यंत्र, सूचना तंत्र, स्वचालित दरवाजा, अलार्म, स्प्रींकलर आदि उपकरणों को उचित एवं पर्याप्त संख्या में लगाकर किसी भी भवन को आग से सुरक्षित रखा जा सकता है एवं आग लगने की स्थिति में उससे होने वाले जान–माल की भी क्षति को रोका जा सकता है।

(F) शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का संवेदीकरण कार्यक्रम

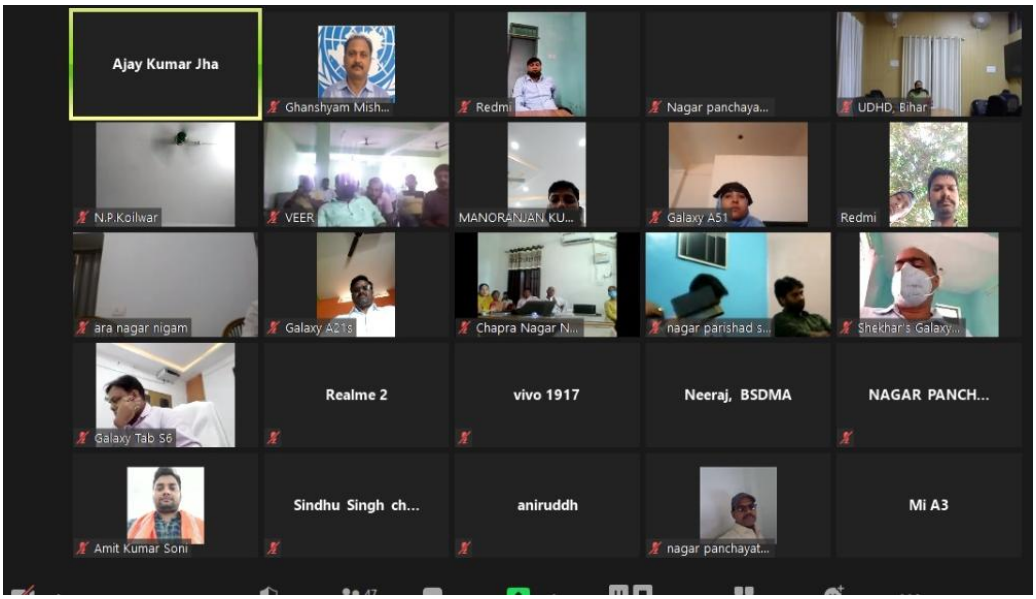

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को पेयजल एवं स्वच्छता, शहरी बाढ़, जलजनित बीमारियां तथा कोविड–19 विषय पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण ई–अकादमी द्वारा संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन 01 सितम्बर 2020 एवं 03 सितम्बर 2020 को किया गया। 01 सितम्बर 2020 को पू0 चम्पारण, प0 चम्पारण एवं गोपालगंज तथा 03 सितम्बर 2020 को सिवान, सारण एवं भोजपुर जिले के महापौर, उप–महापौर, मुख्य पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप–मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकरी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों पर वेबिनार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को क्षमतावर्धन करना है। दूसरी ओर नगर निगमों, नगर पंचायतों में जल–जमाव जैसी समस्याओं से शहरवासियों को सामना करना पड़ता है। इससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शहरी बाढ़ के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों को विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के साथ–साथ कोरोना

वायरस के संक्रमण को रोकने में वार्ड पार्षद एवं पदाधिकारियों की भूमिका के बारे बारे विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी की गई।

इसी क्रम में कार्यक्रम का अगला बैच "शीतलहर एवं शहरी अगलगी जोखिम न्यूनीकरण" विषय पर शहरी स्थानीय निकायों का वेबिनार संवेदीकरण कार्यक्रम दिनांक 24.11.2020 से 11.12.2020 तथा दिनांक 18.12.2020 से ''कचरा प्रबंधन एवं वेक्टर जनित बीमारियाँ'' विषय पर आयोजित किया है। आयोजित कार्यक्रम में महापौर, उप–महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, नगर आयुक्त, उप–नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकरी, सिटी मैनेजर के अलावे अन्य पदाधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया। इस संवेदीकरण कार्यक्रम में शीतलहर एवं अगलगी के बचाव एवं जोखिम न्यूनीकरण के साथ आग लगने के उपरांत प्राथमिक चिकित्सा पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के साथ चर्चा किया गया। यह संवेदीकरण कार्यक्रम विभिन्न तिथियों में नगर निकायवार आयोजित किया गया जो इस प्रकार हैः–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का पेयजल एवं स्वस्छता, शहरी बाढ, जलजनित बीमारियाँ एवं कोविड–19 विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम

क्रम सं0	दिनांक	जिला	नगर निकाय का नाम
1.	01.09.2020	पू0 चम्पारण	नगर परिषद, मोतिहारी
			नगर परिषद, रक्सौल
			नगर परिषद, ढाका
			नगर पंचायत, चकिया
			नगर पंचायत, सुगौली
			नगर पंचायत, अरेराज
			नगर पंचायत, केसरिया
			नगर पंचायत, पकड़ीदयाल
			नगर पंचायत, मेहसी
		प0 चम्पारण	नगर परिषद बेतिया
			नगर परिषद बगहा
			नगर परिषद्, नरकटियागंज
			नगर पंचायत, चनपटिया
			नगर पंचायत, रामनगर
		गोपालगंज	नगर परिषद गोपालगंज
			नगर पंचायत, मीरगंज
			नगर पंचायत, बरौली
			नगर पंचायत, कटैया
2	03.09.2020	सीवान	नगर परिषद सिवान
			नगर पंचायत, महाराजगंज
			नगर पंचायत, मैरवा
		सारण	छपरा नगर निगम
			नगर पंचायत, सोनपुर
			नगर पंचायत, दिघवारा
			नगर पंचायत, मढ़ौरा
			नगर पंचायत, रिविलगंज
			नगर पंचायत, एकमा बाजार
			नगर पंचायत, परसा बाजार
		भोजपुर	आरा नगर निगम
			नगर पंचायत, पीरो
			नगर पंचायत, बिहियाँ

			नगर पंचायत, जगदीशपुर
			नगर पंचायत, कोईलवर
			नगर पंचायत, शाहपुर
3.	08.09.2020	पटना	पटना नगर निगम
			नगर परिषद, बाढ़
			नगर परिषद, खगौल
			नगर परिषद, दानापुर
			नगर परिषद, मोकामा
			नगर परिषद, मसौढ़ी
			नगर परिषद, फुलवारीशरीफ
			नगर परिषद, बख्तियापुर
			नगर परिषद, फतुहा
			नगर पंचायत, मनेर
			नगर पंचायत, खुशरूपुर
			नगर पंचायत, विक्रम
			नगर पंचायत, नौबतपुर
		अरवल	नगर परिषद अरवल
		जहानाबाद	नगर परिषद, जहानाबाद
			नगर पंचायत, मखदुमपुर
		वैशाली	नगर परिषद, हाजीपुर
			नगर परिषद, महनार
			नगर पंचायत, लालगंज
			नगर पंचायत, महुआ
4.	10.09.2020	समस्तीपुर	नगर परिषद, समस्तीपुर
			नगर पंचायत, दलसिंह सराय
			नगर पंचायत, रोसड़ा
		दरभंगा	दरभंगा नगर निगम
			नगर परिषद, बेनीपुर
		बेगुसराय	बेगुसराय नगर निगम
			नगर परिषद बीहट
			नगर पंचायत, बखरी
			नगर पंचायत, तेघड़ा
			नगर पंचायत, बलिया
5.	12.09.2020	गया	गया नगर निगम
			नगर पंचायत, बोधगया
			नगर पंचायत, शेरघाटी
			नगर पंचायत, टेकारी
		औरंगाबाद	नगर परिषद, औरंगाबाद
			नगर परिषद, दाउदनगर

			नगर पंचायत, रफीगंज
			नगर पंचायत, नवीनगर
		नवादा	नगर परिषद, नवादा
			नगर पंचायत, बारसलीगंज
			नगर पंचायत, हिसुआ
6.	15.09.2020	कटिहार	कटिहार नगर निगम
			नगर पंचायत, मनिहारी
			नगर पंचायत, बारसोई
		किशनगंज	नगर परिषद, किशनगंज
			नगर पंचायत, बहादुरगंज
			नगर पंचायत, ठाकुरगंज
		पूर्णियां	पूर्णिया नगर निगम
			नगर पंचायत, कसवा
			नगर पंचायत, बनमंखी
7.	19.09.2020	अररिया	नगर परिषद, अररिया
			नगर परिषद, फारबिसगंज
			नगर पंचायत, जोगवनी
		सुपौल	नगर परिषद, सुपौल
			नगर पंचायत, बीरपुर
			नगर पंचायत, निर्मली
		जमुई	नगर परिषद, जमुई
			नगर पंचायत, झाझा
8.	22.09.2020	सीतामढ़ी	नगर परिषद, सीतामढ़ी
			नगर पंचायत, बैरगनिया
			नगर पंचायत, बेलसंड
			नगर पंचायत, डुमरा
			नगर पंचायत, जनकपुर रोड
			नगर पंचायत, सुरसण्ड
		शिवहर	नगर पंचायत, शिवहर
		मधुबनी	नगर परिषद, मधुबनी
			नगर पंचायत, जयनगर
			नगर पंचायत, झंझारपुर
			नगर पंचायत, घोघरडीहा
		मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम
			नगर पंचायत, कांटी
			नगर पंचायत साहेबगंज
9.	24.09.2020	सहरसा	नगर परिषद, सहरसा
			नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर
		मधेपुरा	नगर परिषद, मधेपुरा

			नगर पंचायत, मुरलीगंज
		खगड़िया	नगर परिषद, खगड़िया
			नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
10.	26.09.2020	लखीसराय	नगर परिषद, लखीसराय
			नगर पंचायत, बड़हिया
		मुंगेर	मुंगेर नगर निगम
			नगर परिषद, जमालपुर
			नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर
		बाँका	नगर परिषद, बांका
11.	29.09.2020	कैमूर	नगर परिषद, भभुआ
			नगर पंचायत, मोहनियां
		रोहतास	नगर परिषद, सासाराम
			नगर परिषद, डेहरी डालमिया नगर
			नगर पंचायत, कोआथ
			नगर पंचायत, नोखा
			नगर पंचायत, नासरीगंज
			नगर पंचायत, कोचस
		बक्सर	नगर परिषद, बक्सर
			नगर परिषद, डुमरांव
12.	01.10.2020	भागलपुर	भागलपुर नगर निगम
			नगर परिषद, सुल्तानगंज
			नगर पंचायत, नवगछिया
			नगर पंचायत, कहलगाँव
			नगर पंचायत, अमरपुर
		नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम
			नगर परिषद, हिलसा
			नगर पंचायत, इस्लामपुर
			नगर पंचायत, सिलाव
			नगर पंचायत, राजगीर
			नगर पंचायत, हरनौत
		शेखपुरा	नगर परिषद, शेखपुरा
			नगर परिषद, बरबीघा

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का ''शीत लहर एवं शहरी अगलगी जोखिम न्यूनीकरण'' विषय पर संवेदीकरण

क्र0सं0	दिनांक	जिला	नगर निगम
1	24.11.2020	पटना	पटना नगर निगम
		नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम
		भोजपुर	आरा नगर निगम
		गया	गया नगर निगम
		भागलपुर	भागलपुर नगर निगम
		मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम
2	25.11.2020	दरभंगा	दरभंगा नगर निगम
		मुंगेर	मुंगेर नगर निगम
		बेगूसराय	बेगुसराय नगर निगम
		पूर्णियां	पूर्णियां नगर निगम
		कटिहार	कटिहार नगर निगम
		सारण	छपरा नगर निगम
3	26.11.2020	पटना	नगर परिषद, बाढ़
			नगर परिषद, खगौल
			नगर परिषद, दानापुर
			नगर परिषद, मोकामा
			नगर परिषद, मसौढ़ी
			नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ
			नगर परिषद्, बख्तियारपुर
			नगर परिषद, फतुहा
		बक्सर	नगर परिषद, बक्सर
			नगर परिषद, डुमरांव
4	27.11.2020	रोहतास	नगर परिषद, सासाराम
			नगर परिषद्, डेहरी डालमिया नगर
			नगर परिषद्, विक्रमगंज
		कैमूर	नगर परिषद, भभुआ
		नालंदा	नगर परिषद, हिलसा
		जहानाबाद	नगर परिषद, जहानाबाद
		अरवल	नगर परिषद, अरवल
		औरंगाबाद	नगर परिषद, औरंगाबाद
			नगर परिषद, दाउदनगर
		नवादा	नगर परिषद, नवादा

(G) शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका की (Guidelines) तैयारी बैठक

प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका तैयार की तैयार करने के लिए परिचर्चा का आयोजन किया गया। 22.09.2020 को आयोजित परिचर्चा का अवलोकन प्राधिकरण के सभाकक्ष में हुआ। इस बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग और नगर निगम के पदाधिकारी शामिल हुए।

इस बैठक का निर्णय इस प्रकार है :

1. गाईडलाइन निर्माण के लिए यूनिसेफ, गैर सरकारी संस्थाओं, संबंधित विभागों, नगर निकायों एवं विशेषज्ञों की ड्राफ्टिंग समिति बनायी जाएगी। ड्राफ्टिंग समिति का संयोजक प्राधिकरण के संबंधित प्रोफेशनल को बनाने का निर्णय लिया गया।
2. शहरी बाढ़ प्रबंधन की मार्गदर्शिका को व्यावहारिक एवं कार्रवाई योग्य (Practicable & Actionable) बनाने के लिए ड्राफ्टिंग समिति द्वारा सभी संबंधित विभागों यथा नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर निगम, आपदा प्रबंधन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नगर निकायों, जिला प्रशासन आदि के पदाधिकारियों/विशेषज्ञों से विमर्श किया जायेगा।

3. राज्य के विभिन्न शहरों के अलग–अलग हिस्सों की स्थिति जैसे भूमि का ढलान, टोपोग्राफी, जल निकास आदि की जानकारी के साथ ही मौजूदा खतरों एवं जोखिमों को ध्यान में रखते हुये मार्गदर्शिका में की जाने वाली तथ्यों का सूत्रण किया जायेगा।
4. में इसके लिए पेरीअर्बन क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यों एवं पारम्परिक जल निकायों की स्थिति का भी ध्यान रखा जायेगा। साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों की जनसंख्या घनत्व का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।
5. मार्गदर्शिका में शहरी बाढ़ की रोकथाम, शमन एवं प्रत्युत्तर की अवधारणा पर चर्चा करते हुए यथानुसार अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक गतिविधियों का वर्णन किया जायेगा।
6. मार्गदर्शिका के सूत्रण के दौरान संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये अध्ययन, यदि कोई हो, तो इस अध्ययन का अवलोकन किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार इसमें उपयोगी जानकारियों का समावेश किया जायेगा।
7. कोविड–19 के दौरान विशेषज्ञों से विमर्श से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से किया जायेगा।
8. ड्राफ्टिंग समिति द्वारा तैयार प्रारूप पर विभिन्न हित धारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। संभव है कि कोविड की परिस्थिति में मार्च 2021 तक सुधार हो जाए। अतएव, विचार विमर्श कार्यशालाओं के माध्यम से करने में सहूलियत होगी।

(H) डूबने और नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में ऑनलाइन संवेदीकरण

1. वैशाली जिले के हाजीपुर एवं महनार प्रखण्डों के समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बालक/बालिकाओं का संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा मानसून एवं कोविड–19 की स्थिति में डूबने एवं नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए 16 सितम्बर 2020 को ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में वैशाली जिले के हाजीपुर एवं महनार प्रखण्डों के 145 से अधिक में जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों, नाविकों/नाव मालिकों, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स तथा बालक/बालिकाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमॉन्सट्रेशन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु तेज बहाव के समय नदियों, तालाबों आदि में नही जाने, बच्चों को पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने,डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता से बचाने आदि के बारे में अवगत कराया गया। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए। बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, भार आरेख पट्टी का

निशान लगे नावों से यात्रा करना, ओवरलोडेड नावों पर नहीं बैठना, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हो उससे यात्रा न करना, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देना एवं नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेना नाव पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करना एवं नाविक के निर्देशों का पालन करना आदि के बारे में प्रतिभागियों का संवेदीकरण किया गया।

उक्त संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को क्षतिग्रस्त एवं टूटी–फूटी नावों से परिचालन न करने एवं जिला प्रशासन से ऐसी नावों का परिचालन नहीं होने देने की जिम्मेवारी से अवगत कराया गया। डूबने से होनी वाली मौतों की रोकथाम के संबंध में जिला प्रशासन से खतरनाक घाटों की पहचान कर मनाही का चिन्ह लगाने एवं विशेषकर बच्चों को वहाँ न जाने हेतु अपील की गई।

2. खगड़िया जिले के परबत्ता एवं गोगरी प्रखण्डों के समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बालक/बालिकाओं का संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा मानसून एवं कोविड–19 की स्थिति में डूबने एवं नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 18 सितम्बर 2020 को ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस संवेदीकरण कार्यक्रम में खगड़िया जिले के परबत्ता एवं गोगरी प्रखण्डों के 160 से अधिक जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों, नाविकों/नाव मालिकों, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स तथा बालक/बालिकाओं की भागीदारी हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमॉन्सट्रेशन किया गया।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु तेज बहाव के समय नदियों, तालाबों आदि में नही जाने, बच्चों को पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने, डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता से बचाने आदि के बारे में अवगत कराया गया। बताया गया कि नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, जिन नौकाओं पर भार आरेख पट्टी का निशान लगा हो उसी नावों से यात्रा करना, ओवरलोडेड नावों पर न बैठना, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हो उससे यात्रा न करना, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देना एवं नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेने व नाव पर चढ़ते उतरते समय

जल्दबाजी न करने के साथ–साथ नाविक के निर्देशों का पालन करने आदि की जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों से अपील की गई कि बच्चों को पानी के तेज बहाव, खतरनाक घाटों एवं गड्ढों की ओर नही जाने दें। कोविड–19 की वर्तमान स्थिति और प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम में 06–18 वर्ष के बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण में भाग लेने के बारे में भी बताया गया।

3. पटना जिले के पंडारक एवं मनेर प्रखण्डों के समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बालक/बालिकाओं का संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा मानसून एवं कोविड–19 की वर्तमान स्थिति में डूबने एवं नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए 19 सितम्बर 2020 को ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस संवेदीकरण कार्यक्रम में पटना जिले के पंडारक एवं मनेर प्रखण्ड के 130 से अधिक की जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों, नाविकों/नाव मालिकों, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स तथा बालक/बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के बारे में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमॉन्सट्रेशन से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु तेज

बहाव के समय नदियों, तालाबों आदि में नहीं जाने, बच्चों को पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने, डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता से बचाने आदि के बारे में अवगत कराया गया। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रतिभागियों को बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, भार आरेख पट्टी का निशान वाले नावों से यात्रा करना, ओवरलोडेड नावों पर न बैठने, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हो उससे यात्रा न करना, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देने की जानकारी दी गयी। नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेने तथा नाव पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करने और नाविक के निर्देशों का पालन करने आदि के बारे में प्रतिभागियों का संवेदित किया गया।

4. बेगूसराय जिले के बेगूसराय, मटिहानी, साहेबपूर कमाल, बलिया एवं बरौनी प्रखण्डों के समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बालक/बालिकाओं का संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा मानसून एवं कोविड–19 की स्थिति में डूबने एवं नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम की उद्देश्य से 23 सितम्बर 2020 को ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसमें बेगूसराय जिले के बेगूसराय, मटिहानी, साहेबपूर कमाल, बलिया एवं बरौनी प्रखण्डों के 220 से अधिक जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधि, नाविक नाव मालिक, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स तथा बालक/बालिकाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमॉन्सट्रेशन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु तेज बहाव के समय नदियों, तालाबों आदि में नही जाने, बच्चों को

पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने, डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता से बचाने आदि के बारे में अवगत करवाया गया। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रतिभागियों बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, भार आरेख पट्टी वाले उन्ही नावों से यात्रा करना, ओवरलोडेड नावों पर न बैठना, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हो उसे यात्रा न करना, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देना एवं नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेना तथा नाव पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करना एवं नाविक के निर्देशों का पालन करने आदि की जानकारी दी गयी।

5. भोजपुर जिले के शाहपुर एवं बड़हरा प्रखण्डों के समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बालक/बालिकाओं का संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा मानसून एवं कोविड–19 की स्थिति में डूबने और नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए 25 सितम्बर 2020 को ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसमें भोजपुर जिले के शाहपुर एवं बड़हरा प्रखण्डों के 250 से अधिक की संख्या में जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों, नाविकों/नाव मालिकों, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स तथा बालक/बालिकाओं की भागीदारी हुई। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमॉन्सट्रेशन किया गया।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु तेज बहाव के समय नदियों, तालाबों आदि में नही जाने, बच्चों को पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने, डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता

से बचाने आदि के बारे में अवगत कराया गया। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रतिभागियों को बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, भार आरेख पट्टी वाले का नावों से यात्रा करने, ओवरलोडेड नावों पर न बैठना, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हों उससे यात्रा न करना, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देना एवं नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेना नाव पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करने और नाविक के निर्देशों का पालन करने आदि के बारे में प्रतिभागियों का संवेदीकरण किया गया।

इस संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान समेत अन्य जिला प्रशासन को सुरक्षित नाव परिचालन के लिए घाटों का ठेका लेने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षा के मानकों की जानकारी देने का सुझाव दिया गया।

नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ऑनलाईन संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 की परिस्थिति में नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम के उद्देश्य से पटना, भोजपुर, वैशाली, बक्सर, सारण एवं भागलपुर जिलों के प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी, पूर्व में प्रशिक्षित निबंधन पदाधिकारी एवं सर्वेक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, जन–समुदाय, नाविक/नाव मालिक आदि ने भाग लिया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इस संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सुरक्षित नौका परिचालन हेतु तकनीकी ज्ञान की जानकारी के साथ ही सावधानी बरतने की अपील की गई। आदर्श नौका नियमावली 2011 में दिये गये प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता एवं महत्व से प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया। प्राधिकरण स्तर से पूर्व में संचालित सुरक्षित नौका परिचालन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उपलब्ध कराई गयी मॉड्यूल्स का समय–समय पर अभ्यास एवं उपयोग की आवश्यकता से अवगत कराया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा नौकाओं पर अंकित किये जाने वाले विभिन्न मानकों जैसे–भार आरेख, यात्रियों की संख्या का निर्धारण (भार वहन क्षमता) किये जाने के तरीकों आदि के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण किया गया। नौकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं उनके रख रखाव के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रतिभागियों को बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, भार आरेख पट्टी का निशान वाले नावों से यात्रा करने, ओवरलोडेड नावों पर न बैठने, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हो उससे यात्रा न करने, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देना, नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेना, नाव पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करना नाविक के निर्देशों का पालन करने और सूर्यास्त के बाद नौकाओं का परिचालन न करने आदि के संबंध में वार्ता एवं प्रस्तुतीकरण किया गया।

इस संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को क्षतिग्रस्त एवं टूटी–फूटी नावों से परिचालन न करने एवं जिला प्रशासन से ऐसी नावों का परिचालन नही होने देने की जिम्मेवारी से अवगत कराया गया।

यह ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम निम्न जिलों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार है।

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	समय(अप0)	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1	पटना, भोजपुर एवं वैशाली	24.11.2020	11:30–01:00 बजे तक	200
2	बक्सर, सारण एवं भागलपुर	27.11.2020	11:30–01:00 बजे तक	300

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के लिए ऑनलाइन संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 की स्थिति और डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम की उद्देश्य से 25 नवम्बर 2020 को ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम किया गया। इसमें बक्सर, सारण एवं मुजफ्फरपुर जिले विभिन्न के प्रखण्डों के 250 से अधिक जिले एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी, जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधि एवं बालक/बालिकाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमॉन्सट्रेशन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु समुदाय एवं अभिभावकों के बीच सुरक्षा के उपायों का प्रचार–प्रसार जैसे– बच्चों को खतरनाक गड्ढों/स्थलों के पास नहीं जाने देना, बच्चों को पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने, तैरना नहीं जानने की स्थिति में नदियों, तालाबों एवं घाटों के किनारे नहीं जाना, डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता से बचाने आदि से अवगत करवाया गया।

इस संवेदीकरण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को डूबने से होनी वाली मौतों की रोकथाम के संबंध में जिला प्रशासन से खतरनाक घाटों की पहचान कर मनाही का चिन्ह लगाकर (विशेषकर बच्चों) को वहां न जाने हेतु अपील की गई।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इस ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम को निम्न जिलों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित जिलों का विवरण निम्नलिखित हैं।

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	समय(अप0)	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1	बक्सर, सारण एवं मुजफ्फरपुर	25.11.2020	11:30–01:00 बजे तक	300

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(I) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों का ऑनलाइन संवेदीकरण

कोविड–19 के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिवहन विभाग एवं AIIMS, पटना आदि के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जिलों के चिन्हित विद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, सड़क सुरक्षा के चार Pillors यथा Education (शिक्षा), Engineering (अभियांत्रिकी), Enforcement (प्रवर्तन) और Emergency Care (आपातकालीन देखभाल), सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों (क्या करें, क्या नही करें) एवं आवश्यक नियमों जैसे–कम उम्र के बालक/बालिकाओं को वाहन न चलाना, तीव्र गति से वाहन न चलाना, वाहन चलाते समय हेलमेट का उपोग अवश्य करना, सड़क पार करते समय दाहिने–बायें एवं सामने देखकर सड़क पार करना, वाहन चलाते समय मोबाईल एवं इयर फोन का उपयोग न करने आदि के बारे में वार्ता एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को यथा संभव सहायता प्रदान करना एवं तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाने आदि के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अस्पताल पूर्व चिकित्सा के बारे में अवगत कराने के लिए प्रशिक्षकों द्वारा विस्तृत रूप से demonstration किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को दुर्घटनास्थल पर जाने से पहले स्वयं की सुरक्षा एवं अन्य सामान्य नियमों के बारे में, रक्तश्राव रोकने के उपायों, हड्डी टूटने के स्थिति में घायल व्यक्ति की सहायता के तरीके दम घुटने जैसी स्थिति में प्राथमिक उपचार के तरीकों एवं सी0पी0आर0 आदि के बारे में अवगत कराया गया। सड़क सुरक्षा के चिन्हों, गुड–समैरिटन एवं मोटर वाहन अधिनियम आदि के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सड़क सुरक्षा नियमों के उलंधन करने पर संशोधित जुर्माने के बारे में भी बताया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उल्लिखित ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम को अक्टूबर माह 2020 में निम्न जिलों के चिन्हित विद्यालयों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित विद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	दिनांक	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	उपस्थिति
1	07.10.2020	मुजफ्फरपुर	डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरपुर	790
2	09.10.2020		रेजोनेंस इंटरनेशनल स्कूल, मुजफ्फरपुर	100
3	16.10.2020	भागलपुर	आनन्दराम धन्धानिया सरस्वती विद्या मंदिर, भागलपुर	350
			कुल	1240

(J) संसाधन की उपलब्धता ही नहीं, जानकारी भी जरूरी

बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है। इन आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर आवश्सकतानुसार संसाधन मुहैया कराई है, लेकिन संसाधन के उपयोग के लिए दूसरी उपलब्धता जहां है उसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है ताकि आपदा की घड़ी में बिना समय गवाएं संसाधन उपलब्ध हो और इसका आवश्यकतानुसार उपयोग हो सके।

इसके मद्देनजर Bihar State Disaster Resource Network BSDRN एक वेब आधारित प्लेटफार्म तैयार किया गया है। यह प्लेटफार्म विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षित मानवीय संसाधनों एवं अत्यावश्यक सामग्रियों की जानकारी आपदा रिस्पांस के लिए उपलब्ध कराता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपदा के समय उपयोग होने वाले उपकरणों एवं मानव संसाधनों आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि बिना समय गवाएं आपदा का सामना किया जा सके। इसके माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। इसके माध्यम से आपदा के वक्त (Golden Hour) में लोगों तक प्रभावी रिस्पांस एवं राहत पहुंचा कर उनकी जान बचायी जा सकेगी।

BSDRN की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसा राज्य स्तरीय Data Base तैयार करना है जो किसी आकस्मिक या आपदा के प्रबंधन के समय विभिन्न हितभागियों एवं प्रशासन को उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान करेगा। यह जानकारी सभी आपदा प्रबंधकों को विभिन्न स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। BSDRN को उपकरण और कुशल मानव संसाधनों की एक व्यवस्थित सूची बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ताकि आपदा प्रबंधकों को तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों का विस्तृत विवरण और उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सके।

आपदाओं का जवाब देने की चुनौतियां :–

पेशेवर तरीके से आपदाओं का जवाब देने में प्रमुख चुनौतियों में से एक संसाधनों की व्यवस्थित सूची की कमी है, जैसे बचाव उपकरण और कुशल मानव संसाधननों की उपलब्धता इत्यादि।

संसाधनों की सूची का अभाव प्रभावी और तेजी से प्रतिक्रिया में देरी करता है, यह घातक हो सकता है।

BSDRN पोर्टल में 30 नवम्बर तक कुल 6408 डेटा की इंट्री विभिन्न विभागों, विभिन्न जिलों तथा निजी संस्थानों के द्वारा की गई।

इस पोर्टल पर कुल छः प्रकार की Category बनाई गयी है सभी Categories में अलग–अलग अंकित संसाधनों की संख्या है। इस केटोगरी पर क्लीक करते ही सम्पूर्ण ब्योरा प्राप्त हो जाता है। इससे आपदा से निपटने में जुटी ऐजेंसियों को पता चलता है कि कहां कौन सामग्री उपलब्ध है।

अब तक संधारित आंकड़ों के अनुसार
6408 प्रकार की मानव बल, उपकरण आदि उपलब्ध हैं।

Search & Rescue Equipment: 2843
Skilled Manpower : 2492
Transportation : 114
Food and Water Sources : 123
Safety and Shelters : 733
Emergency Supplies And Services : 103

(K) Mass Messaging

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहां सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है, वहीं दूसरी ओर सुखाड, अग्निकांड, शीतलहर लू, वज्रपात इत्यादि आपदाओं से भी राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यन्त संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें' की एसएमएस के माध्यम से इन लोगों को पहुंचाया गया।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित–207429, गैर चयनित–435699), जीविका दीदी– (148890), आशा कार्यकर्त्ता (77542), आगनबाड़ी सेविका (45946) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्रियों में उपस्थित अन्य (लगभग 36 लाख नंबर) पर विभिन्न आपदाओं के बारे में समय–समय पर नियमित मास मैसेजिंग (सामूहिक संदेश संप्रेषण) किया जाता है।

मास मैसेजिंग IT के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ईकाई बन गया है। जिसका उपयोग न केवल Early Warning तक सीमित है बल्कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे कि Disaster Preparedness, Mitigation पर जागरूकता एवं बचाव हेतु जानकारी भेजी जाती है। इस तकनीक के मदद से कम समय में

अधिकतम लोगों को Text Message के रूप में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर माह में अब तक कुल 8389536+1162281 +1074182= 10,625,999 Mass Message निम्नलिखित विषयों पर भेजा जा चुका है।

- **सड़क सुरक्षा**
- **मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम**
- **बाढ़ से बचाव एवं पूर्व तैयारी**
- **भूकंपरोधी भवन पर प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का Online Refresher**
- **कोविड महामारी के दौरान सुरक्षित छठ पुजा**
- **सुरक्षित दिपवाली**
- **नाव दुर्घटना से बचाव**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जनहित में जारी

कोविड की महामारी के कारण सुरक्षित छठ पूजा के लिए कुछ सुझावः
यह पर्व घरों में ही मनाएं ।
यदि घाटों पर जा रहे हैं हो मास्क लगाकर ही जाएं एवं
सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें।
घाटों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें।
घाटों पर बुजुर्गों एवं छोटे बच्चों को साथ लेकर न जाएं।
प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करें ।
बैरिकेडिंग को न पार करें ,गहरे पानी में न जायें।
छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी न करें।

दीपावली सुरक्षित मनाएं

बच्चों पर विशेष ध्यान दें।
बच्चे बड़े की निगरानी में ही पटाखे जलाएं।
पानी से भरी बाल्टी अपने पास रखें।
किसी भी प्रकार की जलने की दुर्घटना में तुरंत प्राथमिक उपचार
दें, तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं।
किसी बड़ी आग की स्थिति में अग्निशाम सेवा को 101 नंबर पर
संपर्क करें।

आप अवगत है कि अब सुरक्षित शनिवार दूरदर्शन के डी.डी बिहार चौनल पर ''मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय''के अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा है।

अतः प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक तथा शाम में 4.05 से 5.00 बजे तक दिनांक 17.10.2020 को पटाखों के जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से बचाव के विभिन्न उपायों के बारे में बताया जाएगा।

कृपया सभी को इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

नाव दुर्घटना से बचने के उपाय

जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
किसी भी स्थित में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय, के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।

बाढ़ से बचने के उपाय

आपतकालीन किट हमेशा अपने पास रखें ,जिसमें एक छोटी रेडियो, टार्च, बैट्री,मजबूत रस्सी, माचीस, मोमबत्ती,पानी,सूखा भोजन,खाद्य सामग्री आदि साथ हों।
घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोके।
सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टी वी देखें।
अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं ।

बाढ़ के बाद क्या करें

अनावश्यक रूप से बाढ़ के पानी में न निकलें।
अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
हैण्डपंप व कुएँ इत्यादि की सफाई सुनिश्चत कर पानी उबाल कर ही पियें।
बच्चों को बाढ़ के पानी में घुमने व खेलने न दें।
बिजली के खम्भों के निकट खड़े न रहें।
खुले में शौच न करें।
अफवाह न फैलाएं न उस पर ध्यान दें।